कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(13)

न्यायालय समादरणीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018–19 पुनरीक्षण याचिका

निगरानी-0191/2019/देवास/भू.रा.
649
21/1/19

पार्थी अभिभावक श्री आर. एन. मोदी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 21-01-19
अधीक्षक 21.1.19
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

मांगीलाल आत्मज पूनाजी, आयु 65 वर्ष जाति बलाई, धंधा खेती, निवासी ग्राम लखवाड़ा, तहसील बागली, जिला देवास (म.प्र.)

— याचिकाकर्ता / अपीलान्ट

विरूद्ध

1 कैलाश पिता कल्याणसिंह सैंधव
2 सुमेरसिंह पिता कल्याणसिंह सैंधव
3 मनोहरसिंह पिता कल्याणसिंह सैंधव
4 जितेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह सैंधव

समस्त जाति सैंधव, समस्त निवासीगण ग्राम लखवाड़ा, तहसील बागली, जिला देवास (म.प्र.)

— अनावेदकगण

माननीय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त राजस्व आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 916/2017–18/अपील में पारित विवाद्य आदेश दिनांकित 30–11–2018 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर महोदय,

याचिकाकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका का स्मृति लेख निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

पूर्व पृष्ठभूमि

1– यह कि आवेदक/अपीलान्ट मांगीलाल पिता पूनाजी, जाति बलाई, निवासी ग्राम लखवाड़ा, तहसील बागली, जिला देवास ने एक आवेदन पत्र अंतग्रत धारा 89 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 का माननीय तहसीलदार महोदय, बागली जिला देवास के समक्ष बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान त्रूटीपूर्ण कार्यवाही की दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 5/अ–6/2007–08 पर अंकित हुआ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(26)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0191/2019/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	